



कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं वभागाध्यक्ष,
लो०नि०वि०, उत्तराखण्ड, देहरादून



Office of the Engineer in Chief, PWD, Dehradun Uttarakhand
Phone & Fax:- 0135-2530467, 2530431 E-Mail-cepwd@rediffmail.com
Web- <http://govt.ua.nic.in/pwd>

पत्रांक: 1008 / 128व्यक-सा० / 14
सेवा में,

दिनांक 25 / 05 / 2015

अपर सचिव,
लोक निर्माण विभाग
उत्तराखण्ड शासन
देहरादून।

विषय:- सम्मिलित राज्य अभियन्त्रण सेवा परीक्षा 2012 के अन्तर्गत सीधी भर्ती के रिक्त पदों के अधियाचन के सम्बंध में।

सन्दर्भ:- शासन का पत्र संख्या 758 / 111(1) / 15-103(अधि०) / 2008 दिनांक 21.05.2015

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र का अवलोकन करने की कृपा करें, जिसके द्वारा शासन ने सहायक अभियन्ता (सिविल) के 88 पदों का लोक सेवा आयोग को प्रेषित अधियाचन में उल्लिखित किये गये रोस्टर क्रमांक की संख्या में भिन्नता होने पर पुनः रोस्टर क्रमांक शासन द्वारा लोक सेवा आयोग को प्रेषित अधियाचन के अनुसार रोस्टर क्रमांक अंकित करते हुये भिन्नता स्पष्ट करने के निर्देश दिये गये हैं।

अतः शासन के उपरोक्त संदर्भित पत्र द्वारा/अनुभाग अधिकारी लोक निर्माण अनुभाग-। द्वारा दिये गये मौखिक आदेशों के अनुपालन में शासन द्वारा लोक सेवा आयोग को प्रेषित सहायक अभियन्ता सिविल के 88 पदों पर श्रेणीवार रोस्टर क्रमांक पुनः स्पष्ट अंकित कर अधियाचन प्रपत्र संलग्न कर शासन को प्रेषित किया जा रहा है।

संलग्न:- यथोपरि।

(एच०के० उप्रैती)

प्रमुख अभियन्ता

25/5/15

सीधी भर्ती के सहायक अभियन्ता हेतु स्वीकृत पदों के सापेक्ष प्राविधानित पद 353X40%=141 पदों के सापेक्ष रिक्त पदों का अधियाचन

क्र० सं०	श्रेणी	स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त (3-4)	महिला 30%	विकलांग 3%	भू0पू0सै0 5%	स्व०सं०सै० 2%	उत्तरा० आन्दोलनकारी 10%	योग (क.सं. 6 से 10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	अनारक्षित	63%	88	17	71	02	04	01	07	35
2	अनुसूचित जाति	19%	27	18	09	—	—	—	01	04
3	अनुसूचित जनजाति	4%	06	04	02	—	—	—	—	01
4	अन्य पिछड़ा वर्ग	14%	20	14	06	—	—	—	01	03
	योग :		141	53	88	02	04	01	09	43

नोट:-

उपरोक्त रिक्त 88 पदों में 09 पद अधिशासी अभियन्ता से अधीक्षण अभियन्ता के पद पर हुई पदोन्नति से रिक्त पद एवं 01 पद श्री पुरमल सिंह मर्तोलिया माह 09/2014 में सेवानिवृत्त अधीक्षण अभियन्ता से होने वाले रिक्त पद से व 01 पद श्री बदलूराम प्रभारी अधीक्षण अभियन्ता के माह- मई, 2015 में होने वाले रिक्त पद को भी सम्मिलित किया गया है।

(एच०क० उत्प्रेती)

प्रमुख अभियन्ता

25/5/18

अधियाचन प्रपत्र-1 (2014-15)

1(क) पद का नाम	सहायक अभियन्ता (सिविल)
ख) क्या यह पद नया सृजित किया गया है, यदि हाँ, तो यह पद कब सृजित किया गया था— यदि यह पद नया नहीं है तो यह कब और कैसे रिक्त हुआ—	शासनादेश संख्या 1768/।।।।(1)/11-190 (पी0 डब्ल्यू0डी0) /2001 दि0 12.12.11 एवं शासनादेश संख्या-1288/।।।।(1)/ 14-190 (पीडब्ल्यूडी0)/2001 टी0सी0दि0 30.06.14 एवं शा0सं0 502/।।।।(1) / 14-190 (पी0डब्लू0डी0)/2001टी0सी0 दि0 19.5.14 द्वारा सृजित
1 क्या पद पर किसी की नियुक्ति कर दी गयी है—	नहीं
2. यदि हाँ, तो यह कब से इस पद पर कार्य कर रहा है—	नहीं
3. क्या उनकी स्थानापन्न नियुक्ति के लिए आयोग का अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया है, यदि हाँ तो आयोग का पत्र संख्या तथा दिनांक उद्धृत किया जाये—	नहीं
4. यदि अनुमोदन प्राप्त नहीं किया है, तो परिस्थितियाँ बताई जायें जिसमें आयोग के पूर्व अनुमोदन से नियुक्ति नहीं की जा सकी—	लागू नहीं
(i) क्या उक्त पद आयोग के विचार क्षेत्र में है—	हाँ
(ii) सेवा का नाम, यदि कोई हो, जिससे उक्त पद सम्बन्धित है—	अभियंत्रण सेवा
(iii) क्या उक्त पद संवर्ग की उस संख्या में सम्मिलित है, जो सम्बन्धित सेवा नियमावली में दिखाई गई है—	हाँ
(ग) स्वीकृत पदों की संख्या—	141
(घ) स्वीकृत पदों के सापेक्ष भरे गये पदों की कुल संख्या—	53
(ङ) स्वीकृत पदों के सापेक्ष रिक्त पदों की कुल संख्या—	88
(च) भरे जाने वाले पदों की संख्या—	88
(1) उत्तराखण्ड के अधिवासी अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिए—19%	09
(2) उत्तराखण्ड के अधिवासी अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए—04%	02
(3) उत्तराखण्ड के अधिवासी अन्य पिछड़े वर्गों के अभ्यर्थियों के लिए—14%	06
(4) अनारक्षित अभ्यर्थियों के लिए—63%	71
(छ) क्या विभाग द्वारा रोस्टर रखा जा रहा है और उपर्युक्त रिक्तियाँ प्रत्येक श्रेणी के लिए नियत प्रतिशत व आरक्षण रोस्टर के अनुसार गणना में भिन्नता होने पर नियत प्रतिशत के अनुसार ही रिक्तियों का विवरण दिया गया है? उक्त के अतिरिक्त रोस्टर क्रमांक का स्पष्ट उल्लेख भी किया जाय	उत्तरांचल शासन के शासनादेश संख्या 1454/कार्मिक- 2- 2001 दिनांक 31.08.01 के रोस्टर का क्रमांक— सामान्य-29,30,32,33,34,37,38,39, 40,43,44,45,47,50,52,53,55,57,58,59,60,62,64,65,67,68,69,73,74,75, 78,79,80,82,83,85,87,88,89,90,92,94,95,97,99,100,2,3,4,5,8,9,10,12, 13,15,17,18,20,22,23,25,27,29,30,32,33,34,37,38,39 अनुसूचित जाति का रोस्टर क्रमांक 93,1,6,11,16,21,26,31,36 अनुसूचित जनजाति 24,48 एवं पिछड़ी जाति का रोस्टर क्रमांक 7,14,19,28,35,42 है।
(ज) क्षैतिज आरक्षण के सम्बन्ध में अनारक्षित, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व अन्य पिछड़े वर्गों के लिए श्रेणीवार रिक्तियों का विवरण नियत प्रतिशत का उल्लेख करते हुए निम्न प्रकार से दिया जाय—	—
(1) उत्तराखण्ड की अधिवासी महिला अभ्यर्थियों के लिए—30%	सामान्य-21 पद अनुसूचित जाति-03 पद अनुसूचित जनजाति-01पद पिछड़ी जाति-02 पद
(2) उत्तराखण्ड की अधिवासी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित अभ्यर्थी के लिए—2%	सामान्य-01पद अनुसूचित जाति -शून्य अनुसूचित जनजाति-शून्य पिछड़ी जाति-शून्य

(3) उत्तराखण्ड की अधिवासी शारीरिक रूप से विकलांग अभ्यर्थी के लिए-03%	सामान्य-02पद अनुसूचित जाति-शून्य अनुसूचित जनजाति-शून्य पिछड़ी जाति-शून्य
(क) दृष्टिहीनता या कम दृष्टि से सम्बन्धित अभ्यर्थी के लिए-	-
(ख) श्रवण हास से सम्बन्धित अभ्यर्थी के लिए-	-
(ग) चलन किया सम्बन्धी निःशक्ता या प्रमस्तीकीय अपंगता के लिए-	एक पद ओ0ए0 (एक हाथ प्रभावित दायां या बायां) तथा 01 पद पी0डी0 (आंशिक बधिर) हेतु चिन्हित किया गया है।
टिप्पणी:- शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए उक्त श्रेणी से सम्बन्धित चिन्हित पद के सम्बन्ध में कार्मिक विभाग द्वारा जारी अधिसूचनाओं को संलग्न भी किया जाय।	उत्तरांचल शासन कार्मिक अनुभाग-2 के आदेश संख्या 1388/XXX-2/2004 दिनांक 11.10.04 में वर्गीकृत व्यवस्थान्तर्गत उपरोक्तानुसार शून्य।
(4) उत्तराखण्ड के अधिवासी पूर्व सैनिक अभ्यर्थियों के लिए-05%	सामान्य- 04 पद अनुसूचित जाति-शून्य अनुसूचित जनजाति-शून्य पिछड़ी जाति-शून्य
(5) उत्तराखण्ड आन्दोलनकारी हेतु 10%	सामान्य- 07पद अनुसूचित जाति-01पद अनुसूचित जनजाति-शून्य पिछड़ी जाति-01 पद
2- क्या उत्तराखण्ड के अधिवासी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, महिला व शारीरिक रूप से विकलांग अभ्यर्थियों की रिक्तियों में अग्रेनीत रिक्तियों को भी शामिल कर दिया गया है?	हाँ
3- क्या पद राजपत्रित है या अराजपत्रित?	राजपत्रित
4- क्या पद स्थायी अथवा अस्थायी है? यदि अस्थायी है, तो वह अवधि जब तक यह पद कायम रहेगा-	स्थायी
5- पद का वेतनमान-(बैण्ड वेतनमान व ग्रेड वेतन सहित)	8000-275-13500 (पुनरीक्षित वेतनमान 15600-39100 ग्रेड वेतन 5400)
6- क्या अनुमन्य वेतनमान में बढ़ाया गया प्रारम्भिक वेतनमान दिया जा सकता है? यदि हाँ, तो किस हद तक-	हाँ, शासनादेशानुसार
7- क्या पद पेंशनयुक्त है अथवा अंशदायी पेंशनयुक्त अथवा बिना पेंशन का-	शासनादेश संख्या 20/XXII(07)/05 दिनांक 25.10.05 के अनुसार
8-परिवीक्षा अवधि, यदि कोई हो-	02 वर्ष
9- पद के कर्तव्य-	सहायक अभियन्ता से सम्बन्धित कार्यों का सम्पादन
10- चुने गये अभ्यर्थियों का कब तक कार्यभार ग्रहण करना होगा-	नियुक्ति आदेश जारी होने के एक माह के अन्दर
11- क्या निर्वाह निधि/भविष्य निर्वाह निधि का प्राविधान लागू है?	शासनादेश संख्या 20/XXII(07)/05 दिनांक 25.10.05 के अनुसार
12- कोई विशेष रियायत अनुमन्य है? जैसे निःशुल्क आवास, रोशनी, पानी आदि	नहीं
13- अपेक्षित अर्हतायें-	
(क) अनिवार्य जिसमें शिक्षा संबंधी अर्हतायें, प्रशिक्षण, अनुभव आदि जैसे बातें सम्मिलित हैं-	भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से सिविल अभियांत्रिकी में स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई उपाधि या सिविल अभियांत्रिकी में इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स (इंडिया) की सैक्शन 'ए' व 'बी' की परीक्षा उत्तीर्ण हो।

(ख) अधिमन्य अर्हताएं यदि कोई हों-	1-प्रादेशिक सेना में न्यूनतम दो वर्ष की अवधी तक सेवा की हो, या 2- राष्ट्रीय कैडेटकोर का 'बी' प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो।
(ग) कोई अन्य अर्हताएं-	कोई नहीं
(घ) यदि उपर्युक्त किसी हद तक शिथिल की जा सकती हैं, तो वह किस हद तक ऐसा किया जा सकता है-	लागू नहीं
(ङ) क्या समकक्ष अर्हताएं भी स्वीकार की जायेंगी, यदि हाँ, तो समकक्ष अर्हताएं बताइए-	जी हाँ। सिविल अभियांत्रिक में इन्स्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स (इंडिया) की 'क' व 'ख' की परीक्षा उत्तीर्ण हो।
14-पद किस सेवा नियमावली से आच्छादित है-	उत्तरांचल लोक निर्माण विभाग, सहायक अभियन्ता (सि०) सेवा नियमावली 2003 एवं संशोधित नियमावली 2005
टिप्पणी:- सम्बन्धित सेवा नियमावली की हिन्दी व अंग्रेजी भाषा की पूर्ण प्रतियाँ संलग्न की जाय।	
15- आयु सीमायें-	
(क) निम्न आयु सीमा-	विज्ञप्ति के वर्ष की 01 जुलाई को 21 वर्ष
(ख) अधिकतम आयु सीमा-	विज्ञप्ति के वर्ष की 01 जुलाई को सामान्य अभ्यर्थियों हेतु 42 वर्ष।
(ग) क्या अधिकतम आयु सीमा को शिथिल किया जा सकता है? यदि हाँ, तो विद्यमान शासनादेशों/सेवा नियमावलियों का उल्लेख करते हुए किस-किस श्रेणी/वर्ग के अभ्यर्थियों को कितनी आयु की शिथिलता प्रदान की जा सकती हैं-	शासनादेश संख्या 1399/XXX(2)/2005 दि० 21.05.05 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत समूह क एवं ख के राज्याधीन सेवाओं/पदों में भर्ती के लिए अनु०जाति/ अनु०जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रितों एवं विकलांग श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट प्रदान की गई है। इसी प्रकार भूतपूर्व सैनिकों हेतु शा०सं० 17/2/1981-कार्मिक-2दि० 28.02.1985 द्वारा आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट निर्धारित है।
16- अभ्यर्थी का राष्ट्रीयता क्या अपेक्षित है-	भारतीय
17-अभ्यर्थी की वैवाहित स्थिति क्या अपेक्षित है-	नहीं
18- अभ्यर्थी के चरित्र के सम्बन्ध में क्या अपेक्षित है-	02 राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण पत्र
19-अभ्यर्थी की शारीरिक स्वस्थता के सम्बन्ध में क्या अपेक्षित है-	राज्य चिकित्सा परिषद द्वारा प्रदत्त स्वास्थ्यता प्रमाण पत्र -
20-क्या पद हेतु कोई शारीरिक मापदण्ड भी लागू है? यदि हाँ तो पुरुष व महिला दोनों के लिए नियत शारीरिक मापदण्डों का उल्लेख किया जाय-	लागू नहीं
21-क्या सरकारी कर्मचारी पात्र हैं, यदि हाँ, तो क्या उनके पक्ष में किसी शर्त को शिथिल किया जाएगा। उन शर्तों को बताइये, जो उनके पदों में शिथिल की जायेंगी।	नहीं
22-कोई अन्य शर्त अथवा अर्हता जो उपर्युक्त मदों/प्रश्न के अन्तर्गत नहीं आती हैं-	नहीं
23-क्या अध्याचन में दिए गए विवरण पद से सम्बन्धित सेवा नियमावली व कार्मिक विभाग द्वारा जारी नियमावली के अनुरूप है? यदि नहीं, तो सम्बन्धित मद/प्रश्न के सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट की जाय-	हाँ

दिनांक

अध्याचन प्राधिकारी के हस्ताक्षर
पूरा नाम
पदनाम-.....

(एच०के० उप्रेती)
प्रमुख अभियन्ता